संख्या – 3671/9–आ–1–17विविध/03 (आ.ब.)

जे.एस.मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
नियन्त्रक प्राधिकारी,
समसस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2003

रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य–योजना के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि प्रदेश में तीव्र नगरीयकरण एवं जल श्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरन्तर गिरता है जिससे कुएं एवं शेर वैल्स, आदि सूख रहे हैं और नलकूपों की क्षमता में भी कमी आई है। ऐसी आशंका है कि भूजल गिरने का यदि यही क्रम बना रहा तो आगामी कुछ वर्षों में भूमिगत जल श्रोत समाप्त हो जाएंगे और मानव सभ्यता का जल संकट का समाना करना पड़ेगा।

2 भूमिगत जल के गिरते स्तर के दृष्टिगत एवं जल की बढ़ती माँग को जल संरक्षण एवं वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार कर पूरा किया जा सकता है। परन्तु दोनों माध्यमों को अपनाए जाने में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, अतः पेय जल की माँग के दृष्टिगत जल संसाधन का संरक्षण एवं गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तालाब, पोखर, झील का सुदृढ़ीकरण सहित रख–रखाव, जल का सदुपयोग एवं रेन वाटर हार्वेस्टंग जैसे उपाय अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। इस हेतु ग्रामीण के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन को लोकप्रिय बनाने की महती आवश्यकता हैं। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से आदेश संख्या 1703 ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये थे परन्तु शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के क्रियान्वन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभी गम्भीर प्रयास नहीं किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ जल के गिर रहे स्तर के खतरे के दृष्टिगत रेन वाटर हार्वेस्टंग को लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं नगर विकास विभाग के समन्वय से नगरीय क्षेत्रों के लिये एक कार्य–योजना बनाई गयी है जिसका क्रियान्वयन इस वर्षा ऋतु में एक अभियान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। कार्य–योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं समय–सारिणी भी निर्धारित की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्डवाटर बोर्ड की गाईडलाईन्स पर आधारित सामग्री

संकलित की गई है। जिसमें विभिन्न प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं वाटर हार्वेस्टिंग पोटेन्शियल के [illegible] की पद्धति दी गई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के [illegible] हो तथा वर्षा जल न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए ताकि भूगर्भ जल श्रोतों के प्रदूषण की [illegible] उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड/उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्र जो जल[illegible] (Water Logging) की समस्या से ग्रस्त है, में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को न अपनाया जाएं सम्बन्धित प्राधिकरण/सक्षम [illegible] का यह दायित्व होगा कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से जल मग्न क्षेत्र का प्रमाणित मानचित्र प्राप्त कर उसे जनता की जानकारी हेतु प्रकाशित करें।

4– उपर्युक्त कार्य–योजना एवं अन्य विवरण तथा प्रगति के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्र (एम.पी.आर–22) की [illegible] संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु [illegible] प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह की प्रगति आख्या मासिक एम.पी.आर. के साथ नियमित रूप से [illegible] को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्य–योजना से सम्बन्धित [illegible] को समन्वित, समयवद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्रमशः आवास आयुक्त तथा [illegible] उपाध्यक्ष का होगा।

5– इस हेतु नगर स्तरीय कार्यालयों में "रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल सम्वर्द्धन सेल" का गठन किया जाए एवं किन[illegible] अधिकारी का प्रभारी का प्रभारी बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें क्रियान्वयन [illegible] करना भी उचित होगा। यदि प्राधिकरण/आवास परिषद के कार्यालय स्तर पर एक डिवीजन नामित किया जा सके [illegible] लागत पर योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करा सके तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

6– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भूजल संसाधनों के संरक्षण व सम्वर्द्धन के दृष्टिगत शासन द्वारा 300 [illegible] से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अनिवार्य [illegible] का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 [illegible] निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

7– कृपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु उपर्युक्त निदेशों का [illegible] से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति को लागू करने हेतु कार्य–योजना

(शासनादेश संख्या : 1703ए/9–आ–1–29 विविध/98 दिनांक 12.04.2001)

क्रमांक	रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली	कार्यदायी संस्था	लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
1.	रूफ टॉप हार्वेस्टिंग :		
1.1	सरकारी/अर्द्ध–सरकारी भवन	विकास प्राधिकरण	
	• प्राधिकरण, आवास परिषद भवनृ	आवास विकास परिषद	30.09.2003
	• शहरी स्थानीय निकाय भवन	स्थानीय निकाय, जल निगम	30.09.2003
	• अन्य विभागीय मुख्यालय भवन, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, डी.आर.एम. कार्यलय एयर पोर्ट आदि।	विकास प्राधिकरण, आवास संघ नियन्त्रक प्राधिकारी स्थानीय निकाय, जल निगम	30.09.2003
1.2	1000 व.मी. एवं अधिक के भवन	विकास प्राधिकरण, आवास परिषद	31.10.2003
1.3	सामुदायिक सुविधाओं के भवन (स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, यूनीवर्सिटी सामुदायिक केन्द्र, आदि)	विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद	31.12.2003
1.4	घने क्षेत्रों में सामूहिक हार्वेस्टिंग	स्थानीय निकाय, जल निगम	31.12.2003
2.	ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग		
2.1	प्राधिकरण, आवास परिषद, अवास संघ की योजनाओं में (ग्रीन बेल्ट, पार्क एवं खुले क्षेत्र, स्टेडिम, आदि)	विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, आवास संघ	30.09.2003
2.2	तालाब, पोखर, जलाशय आदि	स्थानीय निकाय, जल निगम	30.09.2003
3.	जल संरक्षण :		
3.1	जलापूर्ति प्रणाली में लीकेज एवं वेस्टेज पर नियंत्रण	स्थानीय निकाय, जल निगम	नियमित कै
3.2	वाटर रिसाईकिलिंग	स्थानीय निकाय, जल निगम	अनवरत् प्र
3.3	शासकीय अभिकरणों द्वारा ग्राउन्ड वाटर के अपने दोहन पर नियंत्रण	विकास प्राधिकारण, स्थानीय निकाय, जल निगम	31.12.200
3.4	जलोपयोग में मितव्ययिता हेतु वाटर चार्जेज का पुनरीक्षण	स्थानीय निकाय, जल संस्थान	31.12.200
3.5	जल संरक्षण जागरूकता अभियान	विकास प्राधिकरण, स्थनीय निकाय, जल निगम	प्रथम चरण 15.08.2003

रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना हेतु प्रस्तावित कार्यवाही एवं समय–सारिणी

क्रमांक	कार्यवाही का विवरण	कार्यदायी संस्था	लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
1.	**पब्लिसिटी :** जल संकट के प्रति जनता को जागरूक बनाना (समाचार पत्र, होर्डिंग्स, टी.वी. बैनर्स, सिनेमा, गोष्ठी आदि के माध्यम से)	प्राधिकरण, आवास संघ आवास परिषद, नियन्त्रक प्राधिकारी स्थानीय निकाय, जल निगम	नियमित कैम्पेन
2.	**रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रकोष्ठ :** (वाटर हार्वेस्टिंग का अंगीकरण/क्रियान्वयन सुविधाजनक बनाने हेतु)	विकास प्राधिकरण आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय, जल निगम	15.07.2003
3.	**रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था :** (पब्लिक एवं प्राईवेट सेक्टर दोनों में कार्यरत आकीटेक्ट्स इंजीनियर्स हेतु)	विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, सूडा, जल निगम	
4.	**प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों का इम्पैनलमेन्ट/एजेन्सी निर्धारतण :** (रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण हेतु)	आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय/जल निगम	15.07.2003
5.	**दरों का निर्धारण :** (रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण हेतु)	आवास एवं विकास परिषद जल निगम	
6.	**1000 व.मी. एवं अधिक के स्वीकृत मानचित्रों एवं निर्मित भवनों की जांच :**		
6.1	नोटिस जारी करना एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु समय–सीमा निर्धारण	प्राधिकरण, आवास परिषद नियन्त्रक प्राधिकारी	31.08.2003
6.2	**सीलबन्द/अभियोजन की कार्यवाही :** नोटिस की समाप्ति पर प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा स्ट्रक्चर का स्वयं निर्धारण का भवन स्वामी से व्यय की वसूली	प्राधिकरण, आवास परिषद नियन्त्रक प्राधिकारी	31.10.2003
7.	**होर्डिंग्स लगान :** महत्वपूर्ण भवनों एवं योजनाओं हेतु क्रमशः रूफ–टॉप एरिया एवं कैचमेन्ट तथा सम्भाव्य वाटर हार्वेन्शियल का विवरण	विकास प्राधिकारण, आवास संघ आवास एवं विकास परिषद नियन्त्रक प्राधिकारी नगर निगम, जल निगम	अनवरत् कार्यवाही

300 व.मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के नए भवनों तथा नई योजनाओं में नीति के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जलमग्न क्षेत्रों (Water logged Areas) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को न अपनाया जाए।

र्षा जल को सीधे Water Bearing strate में प्रवेश न कराया जाए बल्कि प्राकृतिक फिल्ट्रेशन हेतु व्यवस्था रखी जाए।

00 व.मी. एवं अधिक के भवनों हेतु कम्पलीशन सर्टीफिकेट तथा अनकुपेन्सी सर्टीफिकेट नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग वस्था सुनिश्चित होने पर ही जारी किए जाएं।

संख्या– 1760/9–आ–1–04-17विविध/03

क,
वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

वास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2004

यः सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन।

ोदय,

आप अवगत हैं कि भू–जल स्रोतों के अनियोजित रूप से एवं अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कतिपय भागों में भू–जल र तेजी से नीचे गिर रहा है तथा नगरों की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के लिए समुचित पेयजल आपूर्ति की समस्या गम्भीर होती ती है। इस संबंध में भू–जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस ओर ध्यानाकर्षण किया गया है कि भू–जल के गिरते र ...। समस्या का समाधान रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों द्वारा किया जा सकता है। उक्त मंत्रालय द्वारा यह भी अवगत कराया ा है कि केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा नवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत 100 से अधिक कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं एवं कई अन्य सरकारी भवनों/कालोनियों में "रिचार्ज स्ट्रक्चर्स" डिजाइन हेतु तकनीकी परामर्श ा गया है जिसके फलस्वरूप उत्साहबर्धक परिणाम सामने आये हैं। अतः जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि कारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की य।

2. इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति एवं कार्य योजना से संबंधित पूर्व में री शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–29 विविध/98, दिनांक 12.04.01 तथा शासनादेश संख्या 3671/9–आ–1–17 वेध/03, दिनांक 19.06.03 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

मण्डलों में स्थित समस्त सरकारी भवनों जैसे–मण्डलायुक्त कार्यालय, मण्डलायुक्तों के निवास, कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी, निवास, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कचेहरी तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम इत्यादि में रूफ टाप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं अधिष्ठापन में केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अधिष्ठापन में वित्त पोषण हेतु यथासम्भव केन्द्रीय भू–जल परिषद द्वारा अनुमन्य अनुदान का उपयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड से भी नियमानुसार वित्त पोषण की व्यवस्था की जा सकती है।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यक्रम को अत्यन्त सक्रिय रूप से संचालित किया जाय व समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग लिया जाये।

मण्डल स्तर पर कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाये।

भवदीय

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव

संख्या 1760(1)/9–आ–1–04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 11/2/2004–जी.डब्लू. दिनांक 17.01.04 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 11/2/2004–जी. डब्लू. दिनांक 28.05.04 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, सीतापुर रोड, लखनऊ।
12. प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ
13. निदेशक भूगर्भ जल विभाग, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या : 0035 / आठ–1–200

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

विषय: **भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा यमुना के दोआब में स्थित है, जहाँ विश्व का विशालतम भू–जल–भण्ड उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू–जल स्रोतों का अनियंत्रि दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे–धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू–जल स्रोतों के साथ–साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रका पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभाव कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2. उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथ भू–जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य मे सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभाव विधा के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :–

(i) शासनादेश संख्या : 1703ए / 9–आ–1–29 विविध / 98, दिनांक 12.4.2001
(ii) शासनादेश संख्या : 3771 / 9–आ–1–17 विविध / 2003, दिनांक 16.6.2001
(iii) शासनादेश संख्या : 3887 / 9–आ–1–रेन वा0 हार्वे0 / 2002 दिनांक 02.09.02
(iv) शासनादेश संख्या : 1760 / 9–आ–1–04–17विविध / 2003 दिनांक 29.07.04

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हे उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों / संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हु

है कि भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। [illegible] ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित [illegible] वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन ऑफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज़ (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में भू–जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जायंगे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल–प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू–जल की रिचार्ज़िंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले [illegible] योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के [illegible], टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित [illegible] "स्टेगनेशन का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु **जलाशय की गहराई किसी भी** दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस–रन–ऑफ का निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाए। रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में किया जाए।

3.5 पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ [illegible] यथा सम्भव 'परमीएबिल' या ऐसी परिमीएबिल परफोरेटैड–ब्लाक्स के प्रयोग से ही बनाए जाए। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 **नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए।** इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–

(क) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक

रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवक का प्राविधान किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों
रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था
आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों/भवनों
विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

3.6 सार्वजनिक अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 व
मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति
स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मि
होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचा
योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल
भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थाप
करना अनिवार्य होगा।

3.7 भू–जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू–जल म
में रिचार्ज कराया जाए। खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपय
में न लाया जाए क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिस
भू–जल प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनी
के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अ
प्रवेश कराया जाए, ताकि भू–जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासंभव कच्चे रखे जाएं, जिसमें ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट का प्राविध
किया जाए, ताकि भू–जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़–पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिन
जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म में हरे–भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य सम्बन्धि
विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू–जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, प
भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र
जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजिकल एवं हाइड्राजियोलॉजिकल सर्वेक्षण फिजीबिलिटी के आंकलन, रिच
स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण उपलब्ध टैक्नोलाजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख–र
की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्
भू–जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू–जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजन
के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू–जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु
जल विभाग, उत्तर प्रदेश को 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया गया हैं। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–
रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने